लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2564

05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीआई टैग वाले भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देना

2564. श्री बैजयंत पांडा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जीआई-टैग वाले भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए कोई वित्तीय या संस्थागत सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू और निर्यात बाजारों में नकली उत्पादों से जीआई-टैग वाले वस्त्र उत्पादों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसे मामलों में नियमित निगरानी और कानूनी समाधान के लिए कोई तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विपणन सहायता (एचएमए) योजना, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के संबंध में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (जीआई) (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 के पंजीकरण को बढ़ावा देता है, जिसमें निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

1) डिजाइनों/उत्पादों के पंजीकरण में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए 1.50 लाख रुपये।

2) जी.आई. पंजीकरण का प्रभावी प्रवर्तन करने के लिए और आईए के कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1.50 लाख रुपये।

3) इसके अलावा, सेमिनार, कार्यशालाएँ आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

जीआई अधिनियम, 1999 के अंतर्गत कुल 106 हथकरघा उत्पाद, 6 उत्पाद लोगो और 227 हस्तशिल्प उत्पाद पंजीकृत किए गए हैं। जीआई हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प उत्पादों को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा निर्यात बाजार में भी बढ़ावा दिया जाता है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा संचालित एनएचडीपी योजना के अंतर्गत कारीगरों को जीआई अधिनियम सहित अन्य विषयों पर जागरूक करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

इसके अलावा, जीआई हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न शिल्प मेलों और दिल्ली हाट कार्यक्रमों में भागीदारी भी शामिल है। हाल ही में, जीआई और उससे आगे "विरासत से विकास तक" नामक एक जीआई सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के जीआई-टैग वाले हथकरघा उत्पादों के अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया और उन्हें बढ़ावा दिया गया, जिससे वैश्विक दर्शकों के सामने उनकी प्रामाणिकता और शिल्प कौशल का प्रदर्शन हुआ।

भारत सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से, देश में रेशम क्षेत्र के विकास हेतु "रेशम समग्र-2" योजना का क्रियान्वयन कर रही है और राज्यों को जीआई-टैग वाले रेशम उत्पादों सहित रेशम एवं रेशम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता कर रही है।

(ग) से (ङ): वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (जीआई) (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 वस्तुओं आदि के जीआई को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरों द्वारा इनके अनधिकृत उपयोग को रोकता है। जीआई उत्पादों के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को जीआई अधिनियम, 1999 के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा उत्पादों के अवैध निर्माण/विपणन के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क करने का अधिकार है। राज्य हथकरघा एवं वस्त्र विभागों को ऐसे जीआई पंजीकृत हथकरघा उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास करने की सलाह दी गई है।

जीआई पंजीकरण के प्रभावी प्रवर्तन, जीआई के संरक्षण से संबंधित कानूनी मामलों और कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए ₹1.50 लाख (या संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदित वास्तविक राशि) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मानकीकरण प्राप्त करने, मुकदमे लड़ने के लिए कानूनी शुल्क और देश के हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए वास्तविक और/या विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने हस्तशिल्प कारीगरों और अन्य स्टेकहोल्डरों को जीआई से संबंधित मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक हस्तशिल्प सेवा केंद्र में जीआई हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है।

****